न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 09/2022 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2022/57

उनवान

1. हरवीर पुत्र दरब सिंह आयु 58 वर्ष जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. पार्वती पुत्री श्री हरवीर पत्नी लखन सिंह आयु 37 वर्ष जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर हाल निवासी सालिमपुर बरौली छार तहसील नदबई।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 25.06.2019 उनवानी पार्वती बनाम हरवीर मु0न0 08/2018

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कुरका तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी/रैस्पो0 के 1/36 हिस्से के खातेदारी अधिकार हैं। उक्त आराजी अप्रार्थी/अपीलाण्ट की पैतृक आराजी हैं जिसमें प्रार्थी/रैस्पो0 के जन्म से अधिकार हासिल हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट को नशे की लत लग गयी है एवं वह विवादित आराजी को जबरन दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर उतारू हैं। अगर अप्रार्थी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आदेश से स्वीकार करते हुये रैस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि रैस्पो0 विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी मे कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है एवं एक रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में रैस्पो0 के नोशनल शेयर तक स्थगन जारी किया गया है। परन्तु उनके द्वारा रैस्पो0 के हिस्से का निर्धारण नहीं किया गया है। जिस कारण जमाबन्दी में सम्पूर्ण खाते पर स्थगन का नोट अंकित होने से अपीलाण्ट को अपरमित क्षति हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णनीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। रैस्पो0 ने विवादित आराजी में अपना हिस्सा भी गलत अंकित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2013(2) पेज 626, सीसीसी 2018(4) पज 626 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं उसमें रैस्पो0 के जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने के लिये स्थगन आवश्यक है। ताकि वाद बहुलता ना बढे। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि को पैतृक होने एवं रैस्पो0 का उसकी पुत्री होने के तथ्य को नकारा नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2006 पेज 78, 2010 पेज 289, 2011 पेज 352, आरआरटी 2012(1) पेज 350, 2003(1) पेज 373, 2016(2) पेज 1084, 2018(2) पेज 1140 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में पुत्री व पिता के मध्य विवादित आराजीयात को लेकर विवाद है। पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके को, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद है। परन्तु हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अनदेखा नहीं कर सकते कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से विवादित आराजी में रैस्पो0 के बनने वाले नोशनल शेयर तक स्थगन दिया गया है, लेकिन स्थगन आदेश का नोट सम्पूर्ण खाते पर लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षा थी, कि वह सर्वप्रथम विवादित आराजी में रैस्पो0 के नोशनल शेयर को तय करते तत्पश्चात् स्थगन जारी करते। इसके अलावा रैस्पो0 द्वारा भी अपने दावे में विवादित आराजी बाबत् अपने हिस्से को सही अंकित नहीं किया है। प्रकरण में रैस्पो0 के पिता सहित छः भाई बहन कुल सात पक्षकार जीवित हैं। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विवादित आराजी में रैस्पो0 पार्वती के बनने वाले नोशनल शेयर की गणना करते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें, तब तक विवादित आराजी पर रैस्पो0 के नोशनल शेयर तक स्थगन प्रभावी रहेगा। पक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर